तारीख हुक्म	न्यायालय–विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. प्रकरण), सीकर सेशन प्रकरण संख्या 290/2023 राजस्थान राज्य बनाम हणमान व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील जारी हुए
15.04.2026	श्री सांवरमल बिजारणियां, विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण हनुमान उर्फ हणमान व गुडडू वरजमानत अनुपस्थित की हाजरी माफी आवेदन जरिये अधिवक्ता श्री सत्यवीर सिंह चौधरी पेश हुआ जो आज के लिए स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त रामचन्द्र वरजमानत मय अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह काजला, अभियुक्त बिल्लू व धर्मेन्द्र वरजमानत मय अधिवक्ता श्री मोहम्मद आरिफ उपस्थित। बहस चार्ज सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अभियुक्तगण रामचन्द्र व बिल्लू के विरूद्व धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट तथा अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरूद्व धारा 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत आरोप प्रथम दृष्टया बनना पाए जाने पर अभियुक्तगण रामचन्द्र व बिल्लू को धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट तथा अभियुक्त धर्मेन्द्र को धारा 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए, समझाए गए तो अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही। साक्ष्य अभियोजन में गवाहान को निम्नानुसार तलब किया जावे– 1. दिनांक 27.04.2026 हेतु गवाह संख्या 1/पी.डब्लू 2 अशोक व गवाह संख्या 2/पी.डब्लू 1 दाउद खान को जरिये जमानती वारण्ट राशि 3 हजार रूपये से, 2. दिनांक 28.04.2026 हेतु गवाह संख्या 3/पी.डब्लू 3 अनिल कुमार व गवाह संख्या 4/पी.डब्लू 4 ओमप्रकाश को जरिये जमानती वारण्ट राशि 3 हजार रूपये से तथा, 3. दिनांक 29.04.2026 हेतु गवाह संख्या 7 जितेन्द्र सिंह व गवाह संख्या 8 संदीप कुमार को जरिये जमानती वारण्ट राशि 3 हजार रूपये से तलब किया जावे। पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु सर्वप्रथम दिनांक 27.04.2026 को पेश हो। 15.4.26	धर्मेन्द्र बिल्लू रामचन्द्र

विशिष्ट न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरण
सीकर (राज.)